

डिकी बमूकदमें इबादाई

(आदेश 20 नियम 6.7 जाक्ता दीवानी)

अज अदालत (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल जिला-नागौर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत-छाजोली

राजस्व लोक अदालत अभियान
स्याय आपके द्वार-2018

मु0न0299/2017

दीगण-

1. जगनाथराम
2. देवाराम पुत्रगण किसनाराम जाति जाट निवासीगण डिडिया कलां तहसील जायल जिला नागौर।

बनाम

तेवादीगण-

1. जडाव पत्नी किसनाराम
2. सतोष पुत्री किसनाराम जाति जाट निवासीगण डिडिया कलां तहसील जायल जिला नागौर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

वाद बाबत बंटवाडा खेताय घोषणा खेताय अन्तर्गत धारा 53 व 88

राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :-12.06.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी वादी व प्रतिवादी स्वयं की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि :-

1. वादी जगनाथराम के हक बंट में मौजा डिडियाकलां का खेत ख नं 411/923 रकबा 11 बीघा पूरा, ख नं 626/924 रकबा 8.02 बीघा में से 4.01 बीघा पश्चिमी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी देवाराम के हक बंट में मौजा डिडियाकलां का खेत ख नं 279 रकबा 10.03 बीघा पूरा ख नं 626/924 रकबा 8.02 बीघा में से 4.01 बीघा पूर्वी भाग , ख नं 329 रकबा 8.19 बीघा में से 8.12 बीघा पश्चिमी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. वादी जगनाथराम एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के सामलाती हक बंट में मौजा डिडिया कलां का खेत ख नं 329 रकबा 8.19 बीघा में से 0.07 बीघा पूर्वी भाग रखा जाकर सहखातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार जायल को डिक्की पर्चा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहरीर जारी हो।
लीज x मुबलिक x बाबत x खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर x फीस सदी सालाना आज की तारीख तारीख वसूल योगो तक x को अदा करें। बसीब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 12.06.2018 को जारी किया गया।

राजस्व लोक अदालत
जायल (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

मुद्दे	रुपये	पैसे	मुदायला	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दोगा स्टाम्प अर्जी नौगाना स्टाम्प पेजह सावत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीनर बाबत इजराय हुक्मीजान मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीनर बाबत इजराय हुक्मीजान मुतफरिक		

नोट :- इस खर्च के लिए कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिए।

राजस्व लोक अदालत
जायल (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल जिला-नागौर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत-छाजोली

क्रमांक-रा.लो.अदा.अभि./2018/567

दिनांक-12.06.2018

तहसीलदार जायल को डिक्की आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि मुताबिक डिक्की आदेश के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट आज ही पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर